बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा।

Email Id- eefcdrosera@gmail.com

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या–08/2025–2026

पत्रांक–352 /रोसड़ा दिनांक–17/03/2026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा के क्षेत्राधीन योजनाओं के अनुश्रवण एवं निरीक्षण तथा उच्चाधिकारियों की बैठक में भाग लेने इत्यादि कार्य हेतु भाड़े पर बोलेरो/स्कार्पियों वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए आवश्यकता है। इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म/आपूर्तिकर्त्ता से मुहरबंद लिफाफा में वाहन की आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0	वहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	गाड़ी परिचालन का क्रियान्वित अवधि	गाड़ी का प्रकार	गाड़ी की संख्या	अभि0
1	कार्यपालक अभियंता	01 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27	स्कॉपियो	01	
2	सहायक अभियंता, रोसड़ा	01 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27	बोलेरो	01	
3	सहायक अभियंता, नरहन	01 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27	बोलेरो	01	
4	सहायक अभियंता, सिउरीघाट	01 जून 26 से 31 अक्टूबर 26	बोलेरो	01	

1. कोटेशन आमंत्रित करनेवाले पदाधिकारी पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा ।
2. कोटेशन आमंत्रण की तिथि :– 16.03..2026
3. कोटेशन जमा करने की तिथि एवं समय :– 30.03.2026 समय–3:00 बजे अपराहन तक ।
4. कोटेशन प्राप्त करने का स्थान :– कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा ।
5. कोटेशन खोलने की तिथि, समय एवं स्थान :– दिनांक–30.03.2026 समय–3:30 बजे अपराहन, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा ।
6. कार्य विवरणी तथा नियम एवं शर्त्ते :– अनुलग्नक के रूप में संलग्न ।

17/03/2026
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा

⇔कोटेशन पर वाहन रखने हेतु शर्ते निम्नवत् है :–⇔

1. भाड़े पर वाहन मार्च 2027 तक लिया जायेगा। अवधि विस्तार की स्थिति में एकरारित दर पर ही वाहन को आगे के लिए रखा जायेगा। व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शूल्क आदेयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी ।
3. वाहन का कागजात मोटरवाहन अधिनियम के अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैद्य निबंधन पत्र, बीमा , रोड टैक्स एवं प्रदुषण प्रमाण पत्र वाहन वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा ।
4. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा ।
5. भाड़े पर रखे जानेवाले वाहन का भुगतान प्रतिमाह ईधन रहित एवं चालक सहित देय होगा।
6. वहन का भुगतान ईधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाएगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना सूचना के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। एकरारनामा रू0 1000.00 (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जाएगा, जिसका वहन वाहन मालिक को करना होगा ।
7. वाहन का माईलेज वास्तविंक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में जो अधिक हो मान्य होगा।
8. वाहन भाड़ा का दर जिला नजारत प्रशाखा समाहरणालय, समस्तीपुर का ज्ञापांक–869 दिनांक–24.09.2025 द्वारा निर्धारित अधिकतम अद्यतन दर स्कॉपियों–33000.00 (तैतीस हजार) एवं बोलेरो– 29000.00 (उनतीस हजार) मात्र प्रतिमाह (ईधन रहित एवं चालक सहित) में से न्यूनतम दर स्वीकार होगी ।
9. वाहन मालिक/फर्म का वैद्य जीएसटी एवं पेन कार्ड निबंधन होना अनिवार्य है।
10. वाहन का उपयोग वाहन मालिक / फर्म द्वारा निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग में नहीं किया जायेगा ।
11. वाहन का उपयोग 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन/फर्मा का दायित्त्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगें, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगूने दर से कटौती कर ली जायेगी ।
12. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभ करों की कटौती के पश्चात भुगतान की जायेगी ।
13. बिना कारण बताये किसी भी समय कोटेशन की प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस मामले में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा ।

14. कोटेशन के साथ क्रमांक–08, 14 एवं 24 के कागजात एवं शपथ पत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जाएगा।

15. वाहन का मॉडल 2015 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।

16. वाहन आपूतिकर्त्ता साप्ताहिक अवकाश एवं राजकीय अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता पड़ने पर एवं सूचित किये जाने पर वाहन को परिचालित करने हेतु चालक की वैकल्पिक व्यवस्था रखेगें । वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग क्षरा किसी अन्य माध्यम से वाहन की व्यवस्था की जाएगी एवं ऐसा करने पर जो खर्च आयेगा उस राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्त्ता को दिये जानेवाले मासिक भुगतान की राशि से की जायेगी।

17. वाहन आपूतिकर्त्ता आपूर्ति किये गये वाहन का Maitainance एवं Servicing Duty Hours के बाद अथवा अवकाश के दिनों में कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत करेंगें ।

18. वाहन के किसी भी ब्रेक डाउन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण के स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अपने खर्च पर दूसरी व्यवस्था कर उसी मापदण्ड का वाहन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगें। उक्त स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ऐसा सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था करने में जो खर्च करना पड़ेगा उसकी वसूली वाहन आपूर्तिकर्त्ता से की जाएगी ।

19. वाहन आपूतिकर्त्ता द्वारा किराये पर दिये जानेवाले वाहन के पास वैद्य निबंधन प्रमाण पत्र **Comprehensive Insurance third Party and Occupants** के साथ **PUC Permit** एवं अन्य प्रासंगिक़ लाईसेंन्स/परमिट जो डीटीओ एवं अन्य वैद्यानिक संस्था द्वारा व्यवसायिक परिचालन के लिए आवश्यक होना चाहिए तथा उसका नवीकरण अनुबंध की समाप्ति की तिथि के पूर्व होनी चाहिए।

20. किराये पर दिये जानेवाले वाहन पूर्ण रूप से अच्छी स्थिति में, भीतर तथा बाहर से साफ–सुथरा एवं हाईजैनिक स्थिति में होनी चाहिए तथा वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति किये गये वाहन का आरसी, इन्सुरेंस, पीयूसी चालक के **Driving Licence** की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति/कार्यालय में जमा करना होगा ।

21. सभी वाहन आकस्मिक चिकित्सा की एवं अग्निशमन उपकरण के साथ सुसज्जित होने चाहिए एवं सीट पर तौलिया होना चाहिए तथा वाहन में मोबाईल चार्जर, टिशु पेपर , बॉक्स तथा स्वच्छ वायु द्वारा ताजगी महसुस होने वाला यंत्र लगा होना चाहिए।

22. लॉग बुक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में संधारण करना होगा एवं वाहन आपूतिकर्त्ता/चालक द्वारा लॉगबूक में प्रतिदिन आरंभिक कि0मी0 अंतिम कि0मी0 परिचालित दूरी अंकित करके वाहन का उपयोग करने वाले पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर तुरंत प्राप्त करेंगें ।

23. किसी प्रकार का विवाद का निपटारा समस्तीपुर जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहेगा।

24. द्वितीय पक्ष इस एकरारनामा की मूल प्रति रखेगें एवं प्रथम पक्ष को मूल प्रति की छायाप्रति दी जाएगी।

25. सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर एक से ज्यादा न्यूनतम सामान दर के कोटेशन प्राप्त पर वैद्य कोटेशन प्राप्त होने पर वैद्य कोटेशनदाताओं के बीच दिनांक–30.03.2026 के अपराहन 04:00 बजे लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी के समय उपस्थित रहेंगें अन्यथा उनके या उनके प्रतिनिधि के अनुपस्थिति में लॉटरी किया जाएगा तथा इस संबंध में बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यालय कक्ष, सूचनापट्ट अथवा कार्यालय कक्ष में संपर्क किया जा सकता है।

ह0/–
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा

पत्रांक–352/ रोसड़ा दिनांक– 17/03/26

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, समस्तीपुर को सूचनार्थ समर्पित / जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ तथा विभगीय वेबसाईट पर उपलब्ध करने हेतु समर्पित ।

17/03/2026
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, रोसड़ा
17/3/26